राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, जयपुर

क्रमांक:प.20()राभ / उद्यान / गाय का चारा / 3172 दिनांक: 07 जून, 2024

सीमित बोली सूचना

राजभवन जयपुर में गायों के लिए आवश्यकतानुसार 05 से 10 मन ज्वार कुट्टी प्रति सप्ताह / पखवाडा सप्लाई कार्य के लिए दरें आमंत्रित की जाती हैं जो दिनांक 14.06.2024 दोपहर 02.00 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ बंद लिफाफे में कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाउस होल्ड के नाम प्रस्तुत की जा सकती है। प्राप्त बोली दिनांक 14.06.2024 को अपरांह 3.00 बजे उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष राजभवन कार्यालय में खोली जावेगी। कार्य की लागत रूपये 1,99,000/– समस्त करों सहित होगी।

इच्छुक फर्में दिनांक 07.06.2024 अपरांह से बोली प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं अथवा राजभवन की साईट www.rajbhawan.rajasthan.gov.in एवं http:/sppp.raj.nic.in से डाउनलोड भी कर सकते हैं।

6/6/2024

(संध्या शर्मा)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:प.20()राभ / उद्यान / गास का चारा / 3173 दिनांक: 07 जून, 2024

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रभारी अधिकारी (IT) राजभवन,जयपुर, को www.rajbhawan.rajasthan.gov.in एवं ttp:/sppp.raj.nic.in पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
2. नोटिस बोर्ड ,कार्यालय
3. रक्षित पत्रावली

(संजीव कुमार शर्मा RAS)
कन्ट्रोलर

राज्यपाल सचिवालय,
राजभवन, जयपुर

बोली प्रपत्र

राजभवन जयपुर में गायों के लिए ज्वार कुट्टी **सप्लाई दरों बाबत ।**

बोलीदाता का नामः–..

पताः–...

मोबाईल नम्बर ....

क्रम सं0	कार्य का विवरण	बोली दाता द्वारा प्रस्तुत दर रूपये प्रति मन (40KG)	जी.एस.टी. / कर की दर प्रतिशत में यदि लागु हो तो
1	**राजभवन जयपुर में** गायों के लिए ज्वार कुट्टी सप्लाई बाबत		

दिनाकं ......

बोलीदाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता

कन्ट्रोलर

मुख्य लेखाधिकारी

उप सचिव।।

राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

बोली की सामान्य शर्तें

1. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय लेखा नियम एवं इससे सम्बन्धित वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना , परिपत्र , गाईडलाइन ,आदेश, निर्देश प्रभावी होंगे। बोलीदाता को "नियम" "अधिनियम" की पूर्व जानकारी कर लेनी चाहिये। बोली दस्तावेज तथा उपर्युक्त "अधिनियम" "नियम" के किसी प्रकार की विसंगति होने पर उक्त "नियम" एवं "अधिनियम" के प्रावधान प्रभावी होगें।
2. ज्वार कुट्टी की मात्रा में कमी / वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या / मात्रा की गारंटी नहीं दी जायेगी एवं उपाप्त संख्या / मात्रा में कमी या उपाप्त नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी दावे /प्रतिकार का हकदार नहीं होगा। कार्य की संख्या / मात्रा वृद्धि होने पर अनुबंधित संवेदक / बोलीदाता द्वारा बोली की शर्त ,निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर उपलब्ध करानी होगी ।
3. अनुबंधित संवेदक / बोलीदाता द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर ज्वार कुट्टी कार्य की कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जायेगी
4. दरों की वैधता– तकनीकी बोली खुलने की तिथि से 90 दिन तक विधिमान्य होगी।
5. संवेदक कार्य को या उसके किसी भाग को अन्य किसी संवेदक / संस्था को नहीं देगा अर्थात सबलेट नहीं करेगा।
6. इस कार्य की अवधि कार्यादेश दिनांक से एक वर्ष होगी।
7. ज्वार कुट्टी सुखी ,खक एवं कीट रहीत,होनी चाहीये तथा मॉग के अनुसार राजभवन गो–शाला को अधिकतम दो दिवस में आपूर्त करनी होगी।
8. कार्य राजभवन द्वारा इस हेतु अधिकृत अधिकारी के निर्देशन में करना होगा।
9. बोली प्रपत्र सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे पर ज्वार कुट्टी आपूर्ति कार्य हेतु सीमित बोली अवश्य अंकित करे एवं बोली डाक व तार द्वारा मान्य नहीं होगी।
10. .यदि अनुमोदित संवेदक अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्य सम्पादित करने में असफल रहा तो संविदा तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।
11. विभाग को यह अधिकार होगा कि वह न्यूनतम दर वाले प्रस्ताव के अतिरिक्त अन्य किसी प्रस्ताव को स्वीकार्य कर सकता है तथा किसी भी बोली को बिना किसी कारण बताए निरस्त कर सकता है।
12. संविदा संबंधी समस्त पत्राचार कन्ट्रोलर, राज्यपाल हाउस होल्ड जयपुर, के नाम करना होगा। संविदा के संबंध में किसी भी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही जयपुर में ही मान्य होगी।
13. उक्त संविदा के अनुबंध में यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हुआ तो उसका अंतिम निर्णय श्रीमान सचिव, राज्यपाल राजस्थान, जयपुर का मान्य होगा।
14. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के अनुसरण में राजभवन की वैबसाईट http://www.rajbhawan.rajasthan.gov.in अथवा राजस्थान सरकार के राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in पर भी निविदा सम्बन्धी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता मय फोन नम्बर

कन्ट्रोलर

मुख्य लेखाधिकारी

उप सचिव।।